न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा(राजस्थान)

- पीठासीन अधिकारी :— रोज़ी कंसारा, आर.जे.एस.
- नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या :— 1160/2016
- सीआईएस नंबर :— 1160/2016
- अभियोग संख्या :— 32/2016—17
- पुलिस थाना :— आबकारी वृत्त बालोतरा
- सीएनआर नंबर :— **RJBA020008042016**

राजस्थान राज्य **—अभियोगी**

बनाम

कानसिंह पुत्र गोमसिंह, निवासी गोड़ कॉलोनी बालोतरा तहसील पचपदरा, थाना बालोतरा जिला बालोतरा।

—अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज. राज्य।
2. श्री रूगाराम सियाग, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त की ओर से।

—:प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:—

अपराध की तिथि	17.05.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	17.05.2016
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	04.11.2016
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	26.10.2018
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	11.02.2021
बयान मुलजिम लिए जाने की तिथि	30.07.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की तिथि	30.07.2026
निर्णय की तिथि	30.07.2026
दंड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	—

<u>निर्णय</u> **दिनांक :— 30.07.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि आबकारी निरीक्षक वृत बालोतरा बहमराह श्रीखेताराम गार्ड मय आ.नि. दल जाब्ता बालोतरा मय अनुसंधान बॉक्स दौराने रेड एवं गश्त औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा प्रथम फेस से द्वितीय फेस की ओर जा रहे थे कि मार्ग में महासम्पत फैक्ट्री के समीप सामने से एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में एक वजनी कट्टा लेकर रोड क्रॉस करता दिखाई दिया जो जाब्ते को बावर्दी अपनी ओर आता देख घ ाबराया तथा हडबड़ाहट में पीछे मुड तेजी से भागा, शक होने पर उसने व हमराह श्री खेताराम ने दौड़कर पीछा कर उसे घेरकर रोका तथा कट्टे में क्या भरा होने बाबत् पूछा तो उसने कट्टे में देशी शराब के पव्वे रखे होना बताया। जिस पर मौके पर ही मार्ग से गुजर रहे उक्त वाकिया देख रहे उपरोक्त वर्णित मौतबिरान लूणाराम व मानसिंह को बतौर गवाह तलबकर रोके हुए व्यक्ति से उसका नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम कानसिंह पुत्र गोमसिंह निवासी गौड़ कॉलोनी थाना बालोतरा होना जाहिर किया, जिसकी ताईद उक्त वर्णित मौतबिरान द्वारा भी की गई। मौके पर ही उक्त वर्णित मौतबिरान को नियमानुसार अपनी जामातलाशी लेकर कानसिंह के हाथ में पव्वे कट्टे को लेकर उसे खोलकर देखा, उपस्थित हाजिरान को भी दिखाया तो उसमें पव्वे रखे दिखाई दिए, जिन्हें रूबरू हाजिरान बाहर निकाल देखा मोतबीरान एवं अन्य उपस्थित हाजिरान को भी दिखाया, जिनमें कुल 41 पव्व घूमर देशी शराब 50 यूपी निर्माता ग्लोबस स्प्रिट एलटीडी के लेबल लगे भरे हुए जिन सभी पर फोर सेन इन राजस्थान ओनली मार्क लगा कंपनी सील्ड अवस्था में बरामद हुए। बरामद शराब अपने कब्जे में रखने संबंधी कानसिंह से किसी आबकारी पास / परमिट के बारे में पूछा तो उसने इन्कार किया......इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट पर आबकारी निरीक्षक, आबाकारी वृत बालोतरा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32 / 2016—17 अंतर्गत धारा 19 / 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19 / 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19 / 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाने से अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 04.11.2016 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

3. प्रकरण में दिनांक 26.10.2018 अभियुक्त कानसिंह को अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाह पेश किये गये–

क्रम संख्या	गवाह का नाम	पीडब्ल्यू
1	खेताराम	पीडब्ल्यू 01
2	लूणाराम	पीडब्ल्यू 02
3	अजय जैन	पीडब्ल्यू 03

5. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये–

क्रम संख्या	प्रदर्श पी	दस्तावेज का नामनमूनों की रासायनिक जांच की प्राप्ति रसीद
1	प्रदर्श पी 01	अग्रेषण पत्र व प्राप्ति रसीद
2	प्रदर्श पी 02	फर्द बरामदगी एवं जब्ती
3	प्रदर्श पी 03	फर्द नजरी नक्शा
4	प्रदर्श पी 04	फर्द गिरफ्तारी कानसिंह
5	प्रदर्श पी 05	पुलिस बयान लुणाराम
6	प्रदर्श पी 06	धारा 41 सीआरपीसी गिरफ्तारी कानसिंह
7	प्रदर्श पी 07	एफएसएल रिपोर्ट
8	प्रदर्श पी 08	नकल सैंपल रजिस्टर
9	प्रदर्श पी 09	नकल मालखाना रजिस्टर
10	प्रदर्श पी 10	प्रकरण की आरोप पत्र

6. अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के पृथक से किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के साक्षी के कथनों को गलत होना बताकर स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करनी चाही।

7. बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है –

1. क्या दिनांक 17.05.2016 को दौराने रेड एवं गश्त सरहद कस्बा बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र रिको एरिया प्रथम फेस में पुलिस जाब्ता आबकारी निरीक्षक वृत्त बालोतरा द्वारा अभियुक्त के भौतिक, संज्ञान व अनन्य कब्जे से एक प्लास्टिक कट्टे में 41 पव्वे देशी मदिरा घूमर 50 यूपी के भरे हुए, जिन पर फोर सेल इन राजस्थान ओनली लिखा हुआ बरामद किये जिसको अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने का लाइसेंस अभियुक्त के पास नहीं था?

2. यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है ?

8. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है इसलिए अभियुक्त को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की।

9. सहायक अभियोजन अधिकारी ने अधिवक्ता अभियुक्त के तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

10. इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पीडब्ल्यू 01 खेताराम** ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 17.05.2016 को आबकारी वृत मे गार्ड के पद पर तैनात था। उस रोज सीआई अजय जैन मय जाब्ता अनुसंधान बॉक्स के रेड गश्त के लिए औद्योगिक क्षेत्र के पहले से दूसरे चरण मे जा रहे थे। महासम्पत फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति के हाथ मे कट्टा दिखाई दिया। उन्हें बावर्दी देखकर घबराया व भागने लगा तो पीछा कर रोका तो कट्टे बाबत् पूछा तो उसने देशी शराब के पव्वा होना बताया। वहां से गुजर रहे लूणाराम व मानसिंह को बतौर गवाह तलब कर व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने कानसिंह पुत्र गोमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गौड़ कॉलोनी बालोतरा होना बताया। कानसिंह के हाथ मे लिये कट्टे को खोलकर जांचा तो उसमें देसी शराब के 41 पव्वा जो घूमर ब्रांड के थे। जिन पर फोर सेल इन राजस्थान मार्का लगा हुआ था। परमिट / पास के बारे में पूछा तो इंकार किया। बरामदा पव्वा मे से 18 पव्वे वास्ते एफएसएल हेतु निकालकर मार्क 1 से 18 अंकित किया। शेष को प्लास्टिक कट्टे मे डालकर सिल चैपा किया। 18 पव्वों को वास्ते एफएसएल प्राप्त कर जरिये तहरीर आबकारी प्रयोगशाला जोधपुर मे उसी हालात मे सिलबंद अवस्था मे दिनांक 24.06.2016 को जमा

करवाया। इसी रोज जमा रसीद कार्यालय प्रस्तुत कि थी। नमूना शराब प्राप्त करने से लेकर प्रयोगशाला मे जमा करवाने तक उसके पास सिलबंद अवस्था में रही। अग्रेषण पत्र मय प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 1 है। गवाह ने दौराने जिरह कथन किया कि मुलजिम कानसिंह को उन्होने बरामद सुदा माल से करीब चार सौ–पांच सौ मीटर दूरी पर पकड़ा था। जो माल उन्होंने बरामद किया वह माल रोड़ के साईड मे पड़ा था जो प्लास्टिक के कट्टे मे था। वे जब घटना स्थल पर गये तब आबकारी दल को देखकर काफी लोग मौके पर आये थे। मौके पर कौन–कौन लोग आये थे वह नही बता सकता। प्रदर्श पी 1 सैम्पल प्राप्ति फर्द पर उसके हस्ताक्षर नही है। सैम्पल वास्ते उसे जो माल दिया था वो एक सिल बंद प्लास्टिक कट्टे मे दिया था उसमें कितना क्या माल था उसे पता नही। सैम्पल रजिस्टर के पैरा संख्या 9 मे सैम्पल ले जाने वाले के हस्ताक्षर के कॉलम मे उसके हस्ताक्षर नही है। वे घटना स्थल पर पहुंचे तब तक अधेरा हो चुका था। घटना स्थल पर रोड़ लाईटें लगी हुई थी। अधेरा हो जाने से 50 मीटर से ज्यादा दूरी से किसी व्यक्ति को देखकर नही पहचान सकते है।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–2 लूणाराम** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके रूबरू कोई शराब की जब्ती नहीं की थी एवं न ही उसके सामने कोई नक्शा मौका बरामदगी स्थल मुर्तिब किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2 व फर्द नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 3 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके रूबरू कानसिंह को गिरफ्तार नहीं किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। एपीओ द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करता है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 17.05.2016 को पुलिस ने उसके रूबरू मुलजिम कानसिंह पुत्र गोमसिंह निवासी गोड कॉलोनी बालोतरा के कब्जे से 41 पव्वे घूमर देशी शराब के जब्त किए थे। यह कहना गलत है कि उक्त दिनांक को पुलिस ने उसके रूबरू कानसिंह को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 गिरफ्तार किया हो। उसके पुलिस में बयान हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी 5 का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया गया, पढ़कर गवाह ने ऐसे बयान दिए जाने से इंकार जाहिर किया।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गवाह **पीडब्ल्यू–3 अजय जैन** ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.05.2016 को वह बतौर आबकारी निरीक्षक वृत बालोतरा के पद पर पदस्थापित था। उस रोज मन आबकारी निरीक्षक मय आबकारी निरोधक दल जाब्ता दौराने विशेष निरोधात्मक अभियान औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा प्रथम फेज से द्वितीय

फेज की ओर जा रहे थे कि महा संपत फैक्ट्री के समीप सामने से एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में वजनी कट्टा लेकर रोड कॉस करता दिखाई दिया, जो जाब्ते को बावर्दी अपनी ओर आता देख घबराया तथा हड़बड़ाहट में दौड़कर भागा। जिस पर मैंने व बहमराह खेताराम गार्ड ने उसे रोका तथा कट्टे में क्या भरा होने बाबत पूछा तो उसने देशी शराब के पव्वे रखे होना बताया। मौके पर ही मार्ग से गुजर रहे लूणाराम व श्री मानसिंह को बतौर मौतबिर तलब कर रोके हुए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कानसिंह पुत्र गोमसिंह निवासी गौड कॉलोनी बालोतरा होना बताया। मौके पर ही मौतबिरान को जमा तलाशी दे ले कर कानसिंह के हाथ में पकड़े कट्टे को खोलकर देखा तो उसमें 41 पव्वे घूमर देशी शराब 50 यूपी ग्लोबस स्प्रिंट के लेबल लगे फॉर सेल इन राजस्थान मार्का लगे कंपनी सील अवस्था में बरामद हुए। कानसिंह से उक्त बरामदा शराब के पव्वों के संबंध में आबकारी पास बाबत पूछा तो उसने इंकार किया। मौके पर ही बरामदा पव्वों में से 18 पव्वे बतौर नमूना शराब वास्ते रासायनिक जांच अलग से निकाल उन पर मार्क 1 से 18 अंकित कर उन्हें एक खाली प्लास्टिक कट्टे में डाल शेष रहे पव्वों को पुनः बरामदशुदा कट्टे में डालकर नमूना शराब कट्टे एवं बरामदशुदा प्लास्टिक कट्टे को हाजिरान के हस्ताक्षर युक्त चिटों से सील चिट कर कब्जेराज लिया। मौके पर मुर्तिब फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर, अभियुक्त कानसिंह के हस्ताक्षर, गार्ड खेताराम के जी से एच हस्ताक्षर, जिसे साथ में काम करने के कारण पहचानता है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर तथा अभियुक्त के हस्ताक्षर व गार्ड खेताराम के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर, अभियुक्त कानसिंह के हस्ताक्षर, गार्ड खेताराम के हस्ताक्षर है। नोटिस अंतर्गत धारा 41 प्रदर्श पी 6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर तथा अभियुक्त कानसिंह के हस्ताक्षर है। प्रकरण में गवाह लूणाराम, श्री मानसिंह व खेताराम के बयान उनके कहेनुसार दर्ज कर शामिल पत्रावली किए। फर्द नमूना तहरीर प्रदर्श पी 1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर तथा नमूना सील अंकित है तथा नमूना प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन है। नमूना जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 है, जिस पर शामिल पत्रावली का उसका पृष्ठांकन है। प्रमाणित नकल सैंपल रजिस्टर प्रदर्श पी 8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्रदर्श पी 9 है. जिस पर उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान अभियुक्त कानसिंह का राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 में प्रमाणित होने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया जो प्रदर्श पी 10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि बरामदगी स्थल खुला स्थल

है। जहां लोगों की भारी आवाजाही रहती है। समय ज्यादा होने के कारण आज वह नहीं बता सकता कि कट्टे किस रंग व साईज का था। संपूर्ण शराब उसके द्वारा मौके पर खोलकर सूंघकर चखी नहीं गई। संपूर्ण शराब एक बड़े बर्तन में डालकर उसमें से सैंपल नहीं लिया गया, अज खुद कहा कि शराब के पव्वे एक ही ब्रांड व किस्म के होने के कारण 18 पव्ये वास्ते एफएसएल लिये गये। सैंपल सीलबंद अवस्था में भेजे गये। घटना पुरानी होने के कारण आज उसे याद नहीं कि मुलजिम उन्हें बावर्दी देखकर किस दिशा व कितनी दूरी तक भागा था। वक्त घटना घटनास्थल पर लोगों व वाहनों की आवाजाही थी। बरामदशुदा माल ब्रांड ठेको पर मिलता है, जिसे कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है।

13. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में समग्र रूप से बहस अंतिम सुनने के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 03 गवाह को परीक्षित करवाया गया है। प्रकरण में आबकारी निरीक्षक वृत्त बालोतरा अजय जैन व खेताराम द्वारा दिनांक 17.05.2016 को दौराने रेड एवं गश्त अभियुक्त कानसिंह के कब्जे से एक प्लास्टिक कट्टे में 41 पव्वे देशी मदिरा घूमर के 50 यूपी भरे जिन सभी पर फोर सेल इन राजस्थान मार्क लगा हुआ, कंपनी सिल्ड अवस्था में बरामद किए जाने पर हस्तगत प्रकरण संस्थित होकर इस स्तर पर पहुंचा है। सर्वप्रथम उक्त कार्यवाही में शुमार आबकारी निरीक्षक बालोतरा अजय जैन पीडब्ल्यू 2 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि वह मय जाब्ता दौराने विशेष निरोधात्मक अभियान औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा प्रथम फेस से द्वितीय फेस की ओर जा रहे थे, एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में वजनी कट्टा लेकर रोड क्रॉस करते हुए दिखाई दिया, जिस पर उसने बहमराह श्री खेताराम ने उसे घेरकर रोका व कट्टे में क्या भरा होना बाबत् पूछा तो उसने देशी शराब के पव्वे रखे होना बताया। मौके पर लूणाराम व मानसिंह को मौतबीर मामूर कर कट्टे को खोलकर देखा तो उसमें 41 पव्वे घूमर देशी शराब 50 यूपी ग्लोबस स्प्रिट के लेबल लगे भरे, सेल इन राजस्थान मार्क लगे, कंपनी सील अवस्था में बरामद हुए। कानसिंह से उक्त बरामद शराब के आबकारी पास बाबत् पूछा तो उसने इंकार किया। वहीं जाब्ते में शुमार गवाह खेताराम पीडब्ल्यू 1 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह अपने मुख्य परीक्षण में तो गवाह अजय सिंह पीडब्ल्यू 3 के बयानों के समर्थन में कथन करता है कि वह दिनांक 17.05.2016 को आबकारी वृत्त में गार्ड के पद पर तैनात था, उस रोज सीआई अजय जैन मय जाब्ता रेड गश्त के लिए औद्योगिक क्षेत्र के पहले से दूसरे चरण में जा रहे थे। एक व्यक्ति के हाथ में

कट्टा दिखाई दिया। उन्हें बावर्दी देखकर व भागने लगा तो पीछा कर रोका कट्टे बाबत् पूछा तो उसने देशी शराब के पव्वे होना बताया, वहीं से गुजर रहे लुणाराम व मानसिंह को बतौर गवाह तलब कर व्यक्ति का नाम–पता पूछा तो उसने कानसिंह पुत्र गोमसिंह होना बताया, कानसिंह के हाथ में लिए कट्टे को खोलकर जांचा तो उसमें देशी शराब के 41 पव्वे घूमर ब्रांड के थे। यद्यपि उक्त गवाह अपने मुख्य परीक्षण में घटना की ताइद करते हुए गवाह अजय जैन पीडब्ल्यू 3 के बयानों के समर्थन में कथन करता है, परंतु अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करता है कि जो माल उन्होंने बरामद किया वह रोड के साइड में पड़ा था, जो प्लास्टिक के कट्टे में था। वहीं इस संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी 7 का अवलोकन करें तो उसमें अंकित है कि कानसिंह के हाथ में पकड़े कट्टे को लेकर उसे खोलकर देखा तो 41 पव्वे घूमर देशी शराब के बरामद हुए। ऐसे में उक्त गवाह अपनी जिरह में जब्तशुदा माल साइड में पड़ा होने व मुलजिम के स्वयं के कब्जे से बरामद नहीं होने का कथन करता है, जिससे उक्त गवाह की साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न होता है। प्रकरण में जाब्ते में शुमार उपरोक्त दोनों गवाहान अजय जैन पीडब्ल्यू 3 व खेताराम पीडब्ल्यू 1 द्वारा अपनी साक्ष्य में कथन किया गया है कि उनके द्वारा गवाह लुणाराम व गवाह मानसिंह को बतौर गवाह तलब कर उनके सामने अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी की गई है। ऐसे में प्रकरण के गवाह लूणाराम व मानसिंह फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2 के गवाह होकर प्रकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण गवाह है। गवाह लूणाराम पीडब्ल्यू 2 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि पुलिस ने उसके रूबरू कोई शराब की जब्ती नहीं की थी एवं न ही उसके सामने कोई नक्शा मौका बरामदगी स्थल मुर्तिब किया था। उक्त गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के आवेदन पर पक्षद्रोही घ ोषित किया गया है। एपीओ द्वारा की गई जिरह में गवाह स्पष्ट तौर पर यह भी कथन करता है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 17.05.2016 को मुलजिम कानसिंह पुत्र गोमसिंह के कब्जे से 41 पव्वे घूमर देशी शराब के जब्त किए थे। गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 का ए से बी भाग जिसमें संपूर्ण कार्यवाही का अंकन है, उसके द्वारा पुलिस को दिए जाने से भी इन्कार जाहिर करता है। वहीं प्रकरण के फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 के द्वितीय महत्वपूर्ण गवाह मानसिंह की मृत्यु हो जाने से उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया है, जिससे प्रकरण के उक्त गवाह से फर्द जब्ती की ताईद नहीं करवाई जा सकी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जब्ती की कार्यवाही अभियोजन प्रकरण की नींव होती है तथा उसकी पुष्टि स्वतंत्र गवाहों द्वारा न किया जाना संपूर्ण अभियोजन कहानी को

संदेह के घेरे में ला देती है। ऐसी स्थिति में जब्ती की सत्यता एवं विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिह्न उत्पन्न होता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन के पूरे मामले पर पड़ता है। इस प्रकार उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है।

14. लिहाजा उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन कहानी की संपुष्टि नहीं होने से अभियोजन पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। हस्तगत मामले में पत्रावली पर ऐसी कोई सारभूत साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सके। आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना प्रकरण संदेह से परे साबित करना होता है और इसमें यदि लेशमात्र भी संदेह होता है तो इसका फायदा अभियुक्त को जाता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्त पर आरोपित अपराध कि **''दिनांक 17.05.2016 को दौराने रेड एवं गश्त सरहद कस्बा बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र रिको एरिया प्रथम फेस में पुलिस जाब्ता आबकारी निरीक्षक वृत्त बालोतरा द्वारा अभियुक्त के भौतिक, संज्ञान व अनन्य कब्जे से एक प्लास्टिक कट्टे में 41 पव्वे देशी मदिरा घूमर 50 यूपी के भरे हुए, जिन पर फोर सेल इन राजस्थान ओनली लिखा हुआ बरामद किये जिसको अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने का लाइसेंस अभियुक्त के पास नहीं था''** पत्रावली पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य से संदेह से परे सिद्ध कर पाने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप अभियुक्त अपराध अंतर्गत धारा 19 / 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

15. अतः अभियुक्त **कानसिंह पुत्र गोमसिंह, निवासी गोड़ कॉलोनी बालोतरा तहसील पचपदरा, थाना बालोतरा जिला बालोतरा** को अपराध अंतर्गत धारा 19 / 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घ ाोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

16. प्रकरण में जब्तशुदा माल का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

17. अभियुक्त धारा 437 ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 06 माह की अवधि के लिए 10,000 / – रूपये अक्षरे दस हजार रूपये की जमानत एवं इसी राशि का मुचलके इस आशय

का न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे कि जब कभी उसे माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जावेगा, तो वह उक्त न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(रोज़ी कंसारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोतरा

18. निर्णय आज दिनांक **30.07.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोज़ी कंसारा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोतरा